प्रेस विज्ञप्ति

05/08/2026

ईडी ने मेसर्स पीएसीएल मामले में 999.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड व उससे संबंधित कंपनियों द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में, मेसर्स वर्ल्डवाइड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वर्ल्डवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की दिल्ली के रानी खेड़ा, घेवरा और हीरा कुदना में स्थित मौजूदा बाज़ार मूल्य 999.66 करोड़ रुपये की 45 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने अवैध निवेश योजना चलाने में उनकी भूमिका के लिए 33 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र और एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया।

आरोप-पत्र के अनुसार, आरोपित कंपनियों व व्यक्तियों ने एक व्यापक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसमें कृषि भूखंड बेचने व उसे विकसित करने के बहाने भारत भर में लाखों निवेशकों से 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। निवेशकों को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट भुगतान योजना के तहत निवेश करने के लिए प्रलोभन दिया गया और उनसे गुमराह करने वाले दस्तावेजों जैसे करारनामा, पावर ऑफ़ अटॉर्नी व अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवाए गए। ज़्यादातर मामलों में, भूमि कभी प्रदान नहीं की गई और निवेशकों के लगभग 48,000 करोड़ रुपये अभी भी देय हैं।

ईडी ने अपराध की आय के शोधन मे शामिल अलग-अलग आरोपितों व संस्थाओं के विरुद्ध 2016 में एक ईसीआईआर दर्ज की तथा 2018 में एक अभियोजन शिकायत, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में छः पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर कीं।

ईडी ने निवेशकों से एकत्र किए गए धन से अर्जित 45 अचल संपत्तियों की पहचान करके उन्हें कुर्क किया है जोकि अपराध से अर्जित आय है। जांच से पता चला कि मेसर्स वर्ल्डवाइड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वर्ल्डवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे वाली उक्त 45 संपत्तियों को मेसर्स पीएसीएल से विपथित धन का इस्तेमाल करके वित्तपोषित किया गया था, यह धन असल में भोले-भाले निवेशकों से एकत्र किया गया था।

उक्त कुर्की के साथ, ईडी अब तक भारत और विदेश में स्थति संपत्तियों को मिलाकर लगभग 29,625.63 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।

आगे की जांच जारी है।